न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 30/2016

प्रमीला कुमारी वनाम राज्य

–:: आदेश ::–

29.3.18

प्रस्तुत ऑगनबाड़ी अपील अपीलार्थी प्रमीला कुमारी के द्वारा ऑगनबाड़ी वाद संख्या 69/11–12 दिनांक 05.12.2011 में अपीलार्थी को सेविका पद एवं चयन मुक्त किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी सौरबाजार प्रखंड के रामपुर ग्राम पंचायत अन्तर्गत ऑगनबाड़ी सेविका पद पर कार्यरत थी। प्रतिपक्षी– 5 महेन्द्र हजरा संयोजक, कोशी प्रमंडलीय अनुसूचित जाति विकास समिति के द्वारा नियमित केन्द्र संचालन के परिवाद पत्र पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा 05.12.11 को पारित चयन मुक्ति आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल किया गया है। यथा कथित झूठे संयोजक, प्रमंडलीय अनूसूचित जाति विकास समिति के कैपेसिटी में महेन्द्र हजरा द्वारा लगाये गये आरोप पर अपीलार्थी से कारण पृच्छा की माँग की गयी थी तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सौरबाजार से जॉच प्रतिवेदन की भी मॉग की गयी थी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा 05.09.2011 को जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। साथ ही महिला पर्यवेक्षिका को भी जॉच के लिए निदेशित किया गया एवं उनके द्वारा 02.09.11 को जॉच किये जाने की बात कहीं जा रही है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा महेन्द्र हजरा द्वारा लगाये गये आरोप एवं तत्संबंधी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के फाइन्डींग एवं महिला पर्यवेक्षिका के प्रतिवेदन पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा सम्यक विचार किये बिना आदेश पारित कर दिया गया है।

अग्रतर अपीलार्थी का कहना है कि चूँकि आरोप महेन्द्र हजरा द्वारा लगाया गया था, अतएव लगाये गये आरोपों की सम्पुष्टि के लिए महेन्द्र हजरा को साक्ष्य देने को कहा जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। महेन्द्र हजरा द्वारा अपीलार्थी का चयन रूपये एवं पैरवी के आधार पर किये जाने एवं छुआछूत मानने एव पासवान टोला में केन्द्र नहीं चलाने के तथा कथित आरोप को सच मानकर आदेश पारित किया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रतिवेदन जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश में सन्निहित है स्वयं अपीलार्थी पर लगाये गये छुआछूत के आरोप को गलत बतलाता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने आदेश में यही भी माना है कि केन्द्र अनुमोदित स्थान पर चलता था जो महेन्द्र हजरा द्वारा बाधित किये जाने के कारण उनके आवास पर चलने लगा, जहॉ महेन्द्र हजरा द्वारा आवास बना लेने तथा जानवरों को खिलाने वाला भूसा एक भाग में रखकर स्थान को केन्द्र चलाने लायक नहीं छोड़ा। एक तरह जहॉ संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को केन्द्र महेन्द्र हजरा से खाली कराने हेतु कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए थी के बदले अपीलार्थी के चयन के रद्ध कर आरोपकर्त्ता को पुरस्कृत किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका महेन्द्र हजरा ने अवैध कब्जा से मुक्त कराने में सक्षम नहीं थी तथा इसको लेकर अपीलार्थी ने कई बार शिकायत भी किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा केन्द्र संचालन में अपीलार्थी को प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने के बदले बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सीताराम ठाकुर को दरवाजा पर केन्द्र संचालन का 01.09.11 को आदेश दिया गया, जिस पर सीताराम ठाकुर से सहमति भी नहीं ली गयी। जब अपीलार्थी 02.09.11 को बच्चों को लेकर सीताराम ठाकुर के दरवाजा पर गयी तो उन्होंने अपने दरवाजा पर केन्द्र संचालन से मना कर दिया और अन्ततः अपीलार्थी सुधाकर ठाकुर के दरवाजा पर गयी और उनकी सहमति से वहॉ केन्द्र संचालन प्रारंभ किया। अपीलार्थी ने मोबाईल पर इसकी सूचना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को देने का प्रयास किया जो असफल रहा। महिला पर्यवेक्षिका सीताराम ठाकुर के दरवाजा पर गयी जहॉ उन्हें सुधाकर ठाकुर के दरवाजा पर केन्द्र संचालित किये जाने की जानकारी दी गयी, परन्तु उन्होंने गलत प्रतिवेदन समर्पित कर दिया कि केन्द्र नहीं चलता है। साक्ष्य स्वरूप अपीलार्थी ने सीताराम ठाकुर एवं वार्ड सदस्य को लिखित प्रतिवेदन भी अपील के साथ संलग्न किया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि केन्द्र संचालन के आरंभ से ही महेन्द्र हजरा द्वारा अपीलार्थी से अवैध राशि की मॉग की जाती रही है, जिसकी शिकायत अपीलार्थी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से भी की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चूँकि महेन्द्र हजरा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सहरसा से न्यायालय में नालसी वाद 1199 C /2008 अपीलार्थी एवं महिला पर्यवेक्षिका को विरूद्ध हरिजन अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत केश फाईल कर इन्हें भयभीत कर दिया था। दाखिल केश की छाया प्रति भी अपील वाद के साथ संलग्न है। इस तरह भयभीत तोकर महिला पर्यवेक्षिका ने गलत जॉच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया। सभी तरफ से निराश होकर अन्ततः अपीलार्थी ने अनुमंडल दंडाधिकारी सहरसा के न्यायालय में 25.10.11 को महेन्द्र हजरा एवं अन्य 10 के विरूद्ध सनहा दाखिल किया जिसकी भी छाया प्रति अपील के समक्ष संलग्न की गयी है। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए था कि महेन्द्र हजरा इस इलाके का

29.3.18

कुख्यात दबंग व्यक्ति है, जो अपने घर क्रिमिनलों को आश्रय देता है एवं उनके घर में आश्रय प्राप्त क्रिमिनल से एक कारबाईन भी बरामद हुआ था। चूँकि इन्हें ग्रामीण चौकीदार का भी संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनके भय से कोई भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं करता है तथा ये सर्वदा निर्दोष व्यक्ति को हरिजन अत्याचार अधिनियम के अर्न्गत गलत मुकदमों में फँसा दिया करते है। इस कथन कथन के समर्थन में पुलिस उपाधीक्षक (मु0–1) का पुलिस अधीक्षक, सहरसा को संबोधित ज्ञापांक 177/2007 दिनांक 21.10.07 की छाया प्रति संलग्न की गयी है। इस तरह महेन्द्र हजरा के दबाव में आकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने तथ्यों को नजर अंदाज कर अपीलार्थी को चयन मुक्त कर दिया है। इस तरह जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आदेश को निरस्त कर अपीलार्थी के चयन को सम्पुष्ट करने याचना की गयी है।

प्रतिपक्षी महेन्द्र हजरा उर्फ महेन्द्र पासवान का कहना है कि पासवान टोला रहुआ के ऑगनबाड़ी केन्द्र 148 की सेविका प्रमीला देवी काफी चुस्त चालक एवं जाल फरैबी कर पोषाहार क्षेत्र में धपला धोटाला कर केन्द्र का नामों निशान मिटा दिये और पोषाहार क्षेत्र में पड़ने वाले बच्चे अभिभावक को केन्द्र की स्वीकृति के दिन से चयन मुक्ति दिन तक किसी को पता नहीं होने दिया कि यहाँ ऑगनबाड़ी केन्द्र भी चलता हे। प्रतिपक्षी का यह भी कहना है कि अपीलार्थी चयन के बाद कभी ऑगनबाड़ी केन्द्र पर जाकर बच्चों या गर्भवती महिलाओं के बीच पोषाहार का वितरण नहीं किया बल्कि गुप्त रूप से कालाबाजारी में बेच दिया करती थी। बच्चे, अभिभावक या गर्भवती महिलाओं द्वारा पोषाहार के संबंध में पूछने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए अछूत, नीच कमीना कहकर गाली खुलेआम शाला, दुसाध, चमार, डोम का बाल बच्चा कहकर वेवजह हमको तंग तबाह करते है। वरीय पदाधिकारी तक शिकायत करने पर मामले को ठंडे वस्ते में डाल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जब कभी–कभार केन्द्र पर आती है तो नाक मूँह ढ़क कर आती है, और खुलेआम बोलती है कि सरकार पागल है जो इसे गंदी टोला में ऑगनबाड़ी केन्द्र खोल दिया है। यह भी बोलती है कि उनका पहुँच बहुत उँचे तक है और मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। साथ ही झूठे–मूठे केस में फँसाने की धमकी दे देती है। इसलिए अपीलार्थी का अपील खारीज करने की याचना की गयी है।

उभय पक्षों के विद्वान अधवक्ता एवं राज्य की ओर से सरकारी वकील को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0) के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। चूँकि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में विधिवत स्पष्टीकरण प्राप्त कर आदेश पारित किया गया है।

अतः आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

29.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

28.3.17

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 531-2 / विधि, सहरसा, दिनांक– 31-03-2017.

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

31/3/17

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

29-3-17